देवराज नागर
आई.पी.एस.

परिपत्र संख्या-डीजी- 18 /2013

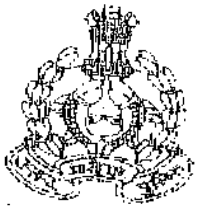

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश,
1-तिलक मार्ग, लखनऊ

दिनांकः लखनऊः मई 4 ,2013

प्रिय महोदय,

आप अवगत हैं कि अभी हाल ही में जनपद लखनऊ व गाजियाबाद में पुलिस अभिरक्षा में हवालात के अंदर अभियुक्तों द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने की घटनायें घटित हुई हैं, ऐसी घटनाओं से पुलिस की छवि धूमिल होती है एवं पुलिस को कभी-कभी विषम कानून-व्यवस्था की स्थिति का सामना करना पड़ता है। अभिरक्षा में मृत्यु अतिसंवेदनशील एवं अमानवीय अपराध है, जिसका दायित्व प्रायः पुलिस पर स्थापित होता है। इस प्रकार की घटनायें विभाग के लिए चिंता का विषय है। ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु समय-समय पर परिपत्र निर्गत किये गये हैं। थाना की हवालात में कोई अभियुक्त आत्महत्या न कर सके इस सम्बन्ध में निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं।

हवालात की व्यवस्थाः-

- थाने की हवालात का निरीक्षण भली भांति करके यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि हवालात में ऐसी कोई भी वस्तु, साधन, परिस्थिति उपलब्ध नहीं है, जो किसी व्यक्ति के आत्महत्या करने में सहायक हो।
- हवालात में यदि कोई रोशनदान है तो वह इतनी ऊँचाई पर होना चाहिए जहां कोई व्यक्ति न पहुंच सके। यह अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाए कि रोशनदान के अंदर की तरफ से लोहे की मजबूत जाली लगा दी जाए, जिसमें डोरी, रस्सी आदि न जा सके।
- हवालात में किसी भी दशा में अन्दर बिजली का स्विच अथवा अन्य विद्युत उपकरण नहीं होना चाहिए।

अभियुक्त को हवालात में दाखिल करने से पूर्व की कार्यवाहीः-

- अभियुक्त की गिरफतारी एवं हवालात में दाखिल करते समय मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा डी0के0 बसु बनाम स्टेट आफ वेस्ट बंगाल के निर्णय में दिये गये आदेशों का अक्षरशः पालन किया जाय।
- किसी भी दशा में मानवाधिकार का उल्लंघन न किया जाय।
- किसी भी व्यक्ति को अवैधानिक रूप से किसी भी दशा में हवालात में न रखा जाय।

अभियुक्त को हवालात में दाखिल करते समय अपेक्षित कार्यवाहीः-

- हवालात में अभियुक्त को दाखिल करते समय विवेचक तथा दिवसाधिकारी उसकी भली-भांति जामा तलाशी लेकर यह सुनिश्चित कर लें कि अभियुक्त के पास कोई डोरी, रस्सी, तार, गमछा, माचिस, मिट्टी का तेल, डण्डा, ब्लेड या मादक एवं विषैला पदार्थ न हो, जो आत्महत्या में सहायक हो।

अभियुक्त को दिये जाने वाले भोजन के सम्बन्ध मेंः-

- हवालात में बन्द अभियुक्त को दिये जाने वाले भोजन के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि वह विषैला न हो।

अभियुक्त से मिलने वालों के सम्बन्ध में अपेक्षित कार्यवाहीः-

- हवालात में बन्द किये गये अभियुक्त से जब भी कोई व्यक्ति मिलने आये तो उसे दिवसाधिकारी व सन्तरी अपनी देख-रेख में मिलने दें, ताकि वह उसे माचिस, ब्लेड, चाकू, रस्सी, मादक, विषैला पदार्थ आदि न दे सके, जो आत्महत्या में सहायक हो सके।

सन्तरी के कर्तव्यः-

- पुलिस रेगुलेशन के पैरा 62 के अनुसार सन्तरी ड्यूटी के अन्तर्गत हवालात में बन्द कैदियों की देख-रेख, थाने की तिजोरी, मालखाने की सम्पत्ति की सुरक्षा करने का प्राविधान है। अतः सन्तरी को उपरोक्त के साथ-साथ बीच-बीच में 15-15 मिनट के अन्तराल में घूम-घूम कर अभियुक्तों की देख-रेख करते रहें। यदि किसी कैदी की असामान्य दशा होती है तो तत्काल थाने के दिवसाधिकारी के संज्ञान में लायेंगे। साथ ही साथ पहरा परिवर्तन करते समय कैदियों को ध्यानपूर्वक देखकर पहरा परिवर्तन करेंगे।

हवालात में अभियुक्त का स्वास्थ्य खराब होने की दशा में अपेक्षित कार्यवाहीः-

- उपरोक्त सावधानियां बरतने के बाद भी यदि हवालात में मौजूद अभियुक्त की हालत खराब हो जाए या वह मरणासन्न हो जाए तो तुरन्त उसे चिकित्सा हेतु अस्पताल ले जाया जाए। यथासंभव इस प्रक्रिया की फोटोग्राफी तथा उसकी वीडियोग्राफी भी करा ली जाए। परन्तु इस कारण उसकी चिकित्सा में विलम्ब न किया जाए।

पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु होने की दशा में अपेक्षित कार्यवाहीः-

- पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु के सम्बन्ध मे द0प्र0सं0 की धारा 176(1ए) में यह प्राविधान है कि जब कोई व्यक्ति पुलिस अभिरक्षा में मर जाता है या गायब हो जाता है या किसी स्त्री के साथ बलात्कार की घटना घटित हो जाती है तो उसकी जॉच सम्बन्धित न्यायिक मजिस्ट्रेट या मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा की जायेगी। अतः पुलिस अभिरक्षा में उपरोक्त में कोई घटना घटित होने जिला जज एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को अविलम्ब सूचित किया जायेगा।
- द0प्र0सं0 176(1ए) खण्ड 5 में यह प्राविधान है कि जॉच या अन्वेषण करने वाला न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी मृत व्यक्ति का 24 घण्टे के अन्दर निकटतम सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम करायेगा। पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु होने पर डाक्टरों के पैनल द्वारा पोस्टमार्टम कराया जाय तथा पोस्टमार्टम कार्यवाही की वीडियोग्राफी अवश्य करायी जाय।
- पुलिस अभिरक्षा मे मृत्यु के सम्बन्ध में सूचना 24 घण्टे के अन्दर राष्ट्रीय मानवाधिकार व राज्य मानवाधिकार आयोग को अवश्य दी जायेगी तथा पोस्टमार्टम की सी0डी0 भी भेजी जायेगी।
- पुलिस अभिरक्षा में यदि कोई संदिग्ध मृत्यु होती है तो अविलम्ब अभियोग पंजीकृत कराया जायेगा तथा उत्तरदायी पुलिस कर्मियों को निलम्बित किया जायेगा। पुलिस अधीक्षक अपने निकट पर्यवेक्षण में अन्य सर्किल के क्षेत्राधिकारी से निष्पक्ष विवेचना सम्पन्न करायेंगे।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(देवरंजन नागर) 4-5-13

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक(नाम से)
प्रभारी जनपद/रेलवे अनुभाग, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवेज, उ0प्र0, लखनऊ।
2. समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।
3. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।